HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15691/2026
CNR: RJHC020948712026 | URN: CRLMB / 29005U / 2026

Nathulal S/o Heeralal, Aged About 24 Years, R/o Dhani Rajoda Tan Rampura, Police Station Pragpura, District Kotputli-Behror. (At Present Lodged At Sub Jail Kotputli, District Kotputli-Behror (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lokesh Kumar Verma
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

30/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना **सरूण्ड जिला कोटपूतली–बहरोड़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **146/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने अन्य तीन सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी से 6 लाख 10 हजार रूपये लूटे हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण में चार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया था उनमें से रिशाल, लोकेश एवं पिण्टू को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त पिण्टू से भिन्न नहीं है क्योंकि दोनों ही अभियुक्तगण के आधिपत्य से राशि की बरामदगी होना बताया गया है एवं पिण्टू के विरूद्ध भी पूर्व के चार अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज थे एवं प्रार्थी के विरूद्ध तीन पूर्व के

आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उनका तर्क है कि पूर्व के प्रकरण साधारण मारपीट से सम्बन्धित हैं। प्रकरण में अभियोजन पक्ष के नौ गवाह परीक्षित हो चुके हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूरी होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की गर्दन पर कट्टा लगाकर उससे रूपयों से भरा बैग लूटने का आरोप है, जिसमें आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त एवं एक अन्य सहअभियुक्त के आधिपत्य से ही 6 लाख 10 हजार रूपये की राशि बरामद हुई है तथा प्रार्थी की सूचना पर देशी कट्टा मय चार जिंदा कारतूस जिसका उपयोग बैग लूटने की घटना के दौरान किया जाना बताया है, बरामद हुए हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के तीन अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। उसके विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 309(4), 115(2), 126(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराधों में आरोप–पत्र पेश किया जिसमें विचारण चल रहा है तथा 13 अभियोजन साक्षीगण में से 9 साक्षीगण के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार विचारण लगभग अंतिम पड़ाव पर है। प्रार्थी/अभियुक्त पर ही परिवादी को भयोपरत करने के लिए उसके गले पर कट्टा लगाकर रूपये लूटने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से 6 लाख 10 हजार रूपये एवं हथियारों की बरामदगी भी हुई है। यही मुख्य अभियुक्त बताया गया है, इसलिए इसका मामला सहअभियुक्त पिण्टू के समान नहीं कहा जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **नत्थूलाल पुत्र हीरालाल** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

39/AJAY KUMAR SINGHAL